

प्रेषक,

अभय कृष्ण तिवारी,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम,
वाराणसी।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
जनपद वाराणसी।

विषय – माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 9691/IV-F-82 (Pension) एडमिन ए अनुभाग दिनांकित 16.07.2024 एवं शासनादेश संख्या 14/2024/सा0-3-243 दस-2024/301 (1)2024 दिनांकित 28 जून, 2024 अन्तर्गत पुरानी पेंशन चयन विकल्प पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी. 1) से हुई थी।

प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन सं0 976/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक 15.06.2006 को जनपद गोरखपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट-फर्स्ट क्लास के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर 2003 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन सं0-ए-2/ई-1/2003, दिनांकित 15 नवम्बर, 2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024, दिनांकित 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।

प्रार्थी द्वारा शासनादेश सं0-20/2024/सा0-3-276/दस-2024/301(1)2024, दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु अपना विकल्प पत्र, प्रावरण पत्र (Covering Letter) के साथ संलग्न कर संस्तुति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु विकल्प पत्र संस्तुति के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

“ससम्मान”

दिनांक: अगस्त 08, 2024

Office of the District Judge Varanasi

No. 1718/LI Date 08.08.2024

forwarded.

District Judge
Varanasi
08.08.2024

भवदीय,

Abhay Krishna Tiwari
08/08/24

(अभय कृष्ण तिवारी)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम,
वाराणसी। जे.ओ.कोड-6199

शासनादेश संख्या-20/2024/सा0-3-243 दस-2024/301 (1)2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024
का संलग्नक :-

विकल्प-पत्र

1. नाम - अभय कृष्ण तिवारी
2. वर्तमान पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वाराणसी।
3. वेतनमान - 1,44,840 - 1,94,660
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि - 15 नवम्बर 2003 (विज्ञापन सं0-A-2/E-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 26 मई 2006(उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4) संख्या-2430/दो-4- 06-32(1)/2001 टी.सी. 1
8. योगदान की तिथि - 15.06.2006
9. जन्मतिथि - 01.02.1974
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31.01.2034

मैं अभय कृष्ण तिवारी पुत्र स्व0 श्री जय प्रकाश नारायण तिवारी, शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243 /दस-2024/301(1)2024, दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर

नाम अभय कृष्ण तिवारी

पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम,
वाराणसी, जे.ओ.कोड-6199

घोषणा-पत्र

मैं अभय कृष्ण तिवारी, पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वाराणसी, जे.ओ.कोड-6199, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम अभय कृष्ण तिवारी

पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम,
वाराणसी, जे.ओ.कोड-6199

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

श्री अभय कृष्ण तिवारी, पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वाराणसी को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

जनपद न्यायलय, वाराणसी 8/8/2024

District Judge
Varanasi